10. **व्याख्या.**— इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा.

क्रमांक एफ 4-05/2021/30/सं. नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति, विभाग ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से, इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंड़ित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को "लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार" देने का निर्णय लिया है.

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम :—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार नियम-2021" है.

   (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.
   ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **पुरस्कार का स्वरूप :—** साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्तकृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार" राशि रुपये 50 हजार (रुपये 50,000/-) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. पुरस्कार, साहित्य/आंचलित साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन:—** राज्य शासन, साहित्य/आंचलिक साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यत: पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां :—**
   1. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित व्यक्ति की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

   2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

   3. संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा. जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

   4. प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा.

   5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

   6. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

2. प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

ख. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.

ग. यदि कोई अन्य सम्मान/पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

घ. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)

च. साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.

छ. चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

3. अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा :—

क्रमांक	पुरस्कार हेतु व्यक्ति के नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

7. पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी :—

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. साहित्यकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियां
6. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड :—** पुरस्कार के लिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

1. पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्यों का मूल्यांकन होगा.

3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

4. पुरस्कार चूंकि साहित्य/आंचलिक साहित्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए साहित्य/आंचलिक साहित्य के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

5. यह भी देखा जाएगा कि साहित्य/आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी. जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. **पुरस्कार की घोषणा :—** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह :—** पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित राज्य के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, संस्कृति विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** चयनित व्यक्ति के साहित्य/आंचलिक साहित्य कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप, पुरस्कार प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम एक्का, अवर सचिव.